भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *417
20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर

खाद्य उत्पादों में माल्टोडेक्सट्रिन का उपयोग

***417. श्री एम. के. राघवनः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में हेल्थ ड्रिंक्स, शिशु आहार, स्नैक्स, बेकरी उत्पाद और आहार संपूरकों (डाइटरी सप्लीमेंट) जैसे प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य उत्पादों में माल्टोडेक्सट्रिन के अत्यधिक उपयोग का संकेत देने वाली रिपोर्टों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अध्ययनों ने माल्टोडेक्सट्रिन के अधिक सेवन से उत्पन्न होने वाली किन्हीं संभावित स्वास्थ्य संबंधी किन्हीं चिंताओं का, विशेषकर बच्चों, मधुमेह के रोगियों और जीवनशैली से संबंधित बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के बीच, संकेत दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू बाजारों में उपलब्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में माल्टोडेक्सट्रिन के उपयोग की सीमा के संबंध में कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है या करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का स्वास्थ्यप्रद खाद्य वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुरूप खाद्य उत्पादों में माल्टोडेक्सट्रिन के उपयोग के अनुमति के स्तरों की समीक्षा करने या उन्हें कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20 मार्च, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*417 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, संवितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और एफएसएसएआई के मानक पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं।

खाद्य सुरक्षा मानक स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन निकायों, अर्थात् वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक राय के आधार पर बनाए जाते हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोडेक्स मानकों के साथ समन्वित किया जाता है।

मॉल्टोडेक्सट्रिन खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार एक अनुमत घटक है, जो बेकरी उत्पादों, बच्चों के लिए पूरक आहार, शिशुओं के लिए दूध उत्पादों आदि जैसी कई खाद्य श्रेणियों में उपयोग किया जाता है। मॉल्टोडेक्सट्रिन का उपयोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस (जीएमपी) के तहत करने की अनुमति है और इसे वैश्विक स्तर पर सुरक्षित माना जाता है।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) जैवचिकित्सा अनुसंधान की व्यवस्था, समन्वय और प्रचार के लिए तथा समाज के हित के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन करने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है। आईसीएमआर के अनुसार, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बार-बार सेवन इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापे और मेटाबोलिक सिंड्रोम से जुड़ा है और यह आंतों के माइक्रोबायोटा को भी बदल सकता है। आईसीएमआर ने माल्टोडेक्सट्रिन के अत्यधिक सेवन से उत्पन्न होने वाली संभावित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर कोई अध्ययन नहीं किया है।
